उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या- 01/2020 /1478 पी/छः-पु-6-2019-300(80)/2019
लखनऊः दिनांक, 06 जनवरी, 2020

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) के उपबन्धों और इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों के अनुसरण में, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से शासनादेश संख्या-133के/छः-सानिप्र-19-12(4)/2017 दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) (1984-दंगा) कानपुर नगर कार्यालय, वह पुलिस थाना होगा, जिस पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की अधिकारिता होगी।

आज्ञा से
अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गजट प्रकाशन

फैक्स/ ई-मेल/ स्पीड पोस्ट/ सर्वोच्च प्राथमिकता/ समयबद्ध

संख्या- 2/2020/06पी/छः-पु-6-2020-300(80)/2019

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0
ऐशबाग, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 06 जनवरी, 2020

विषयः वर्ष 1984 में जनपद- कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप दि0 05-02-2019 द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) को पुलिस थाना अधिसूचित किए जाने के संबंध में निर्गत अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि वर्ष 1984 में जनपद- कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप दि0 05-02-2019 द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) को पुलिस थाना अधिसूचित किए जाने के संबंध में शासन की अधिसूचना संख्या-01/2020/1478 पी/छः-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त निर्गत अधिसूचना की हिन्दी-अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 06-01-2020 के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित कराते हुए निम्नलिखित को सम्मुख अंकित प्रतियां शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	प्रतियां
1.	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	10 प्रतियां
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/एस0आई0टी0/स्थापना/प्रशासन उ0प्र0, लखनऊ	प्रत्येक को 05-05 प्रतियां
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।	10 प्रतियां
4.	जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर।	10 प्रतियां
5.	गृह पुलिस अनुभाग-6, उ0प्र0शासन।	100 प्रतियां

3- उक्त गजट के मुद्रण पर होने वाले व्यय को उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा वहन किया जायेगा। अतः मुद्रण व्यय से संबंधित बिल, भुगतान हेतु मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को भेजा जायेगा।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 02/2020/06(1) पी/छः-पु-6-2020-300(80)/2019 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त निर्गत अधिसूचना संख्या-01/2020/ 1478पी/छः-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
(यह अधिसूचना गृह विभाग की बेवसाइट http://uphome.gov.in पर अवलोकनीय भी है)

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिबंधक, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. स्पीड पोस्ट -श्री अतुल (सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक)/ अध्यक्ष- Special Investigation Team (SIT) (1984-Riots), Kanpur Nagar को उनके अर्द्धशा0प0 सं0-पर्स-2019 दिनांक 27-05-2019 के क्रम में।
4. स्पीड पोस्ट -श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश, निवासी-109, आनन्द ऐश्वर्या अपार्टमेंट, 14/87 सिविल लाइन, कानपुर नगर।
5. प्रतिकर अधिकारी/ मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. अपर पुलिस महानिदेशक/वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
7. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ (मुख्यालय)
8. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, (जोन) / पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) उत्तर प्रदेश।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर।
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक- कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना संख्या-01/2020/1478 पी/छः-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति अध्यक्ष- Special Investigation Team (SIT) (1984-Riots) कानपुर नगर एवं अन्य संबंधित सदस्यों को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराया जाना कृपया सुनिश्चित करें।
12. स्पीड पोस्ट -श्री योगेश्वर कृष्ण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, अभियोजन, 187 एम0आई0जी0,डब्लू ब्लाक, केशवनगर, कानपुर।
13. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज, कानपुर।
14. न्याय अनुभाग-6/ विधायी अनुभाग /भाषा अनुभाग-5 / गृह पुलिस अनुभाग-7/ 9, उ0प्र0शासन।
15. ओ0एस0डी0- साम्प्रदायिक नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
16. मीडिया सेल, गृह विभाग।
17. अनुभाग अधिकारी, गृह नियंत्रण कक्ष, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या-01/2020/1478पी/छः-पु-6-2019-300(80)/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबंधित को फैक्स/ ई-मेल कराने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।